

पत्रांक / No. 324/IILM /2024
भारत सरकार / Government of India
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
उपभोक्ता मामले विभाग / Department of Consumer Affairs
भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान / Indian Institute of Legal Metrology

Phone: 0651-2450821, 2450633(O)
Email: dir-iilm-jhr@nic.in

कांके, रांची / Kanke, Ranchi-834006
दिनांक / Dated: 26/07/2024

To,

The Controller,
Legal Metrology,
All States & Uts.


Sub: **Seminar on Law relating to Legal Metrology.**

Sir,

I have to inform that the Institute is going to organize a two days' Seminar on Law relating to Legal Metrology from 05.09.2024 to 06.09.2024. This seminar will be beneficial to all the officials of legal metrology in the light of Legal Metrology Act, 2009 & Rules made there-under.

You are, therefore requested to kindly attend the seminar and may also depute two senior officers preferably of the level of Deputy Controller or Assistant Controller from your state / Union Territory, who possess the qualification as per rule 5 of the Indian Institute of Legal Metrology Rules 2011, for a beneficial discussion on the subject of proper enforcement. Please inform the names of the officers by 04.09.2024 for its confirmation.

भवदीय / Yours Sincerely,


डा. राजेश्वर कुमार / Dr. Rajeshwar Kumar
निदेशक, आई.आई.एल.एम. / Director, IILM

पत्रांक / No. ९७८/ILM/2024
भारत सरकार / Government of India
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution
उपभोक्ता मामले विभाग / Department of Consumer Affairs
भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान / Indian Institute of Legal Metrology

Phone: 0651-2450821, 2450633(O)

Email: dir-iilm-jhr@nic.in

कांके, रांची / Kanke, Ranchi-834006

दिनांक / Dated: २६/०७/२०२४

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान,
सभी राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश।


विषय :- विधिक माप विज्ञान से संबंधित अधिनियमों पर दो दिवसीय संगोष्ठी के संबंध में।

महोदय,

उपयुक्त विषय पर, मुझे यह सूचित करना है कि संस्थान दिनांक 05.09.2024 से 06.09.2024 तक को विधिक माप विज्ञान से संबंधित अधिनियमों पर दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहा है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 और उसके तहत बनाए गए नियमावली के आलोक में, यह संगोष्ठी विधिक माप-विज्ञान के सभी अधिकारियों के लिए लाभप्रद होगी।

अतः समुचित प्रवर्तन विषय पर लाभदायक चर्चा हेतु, आपसे अनुरोध है कि उक्त संगोष्ठी में स्वयं भाग लें एवं अपने राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश से उप नियंत्रक अथवा सहायक नियंत्रक स्तर के दो वरिष्ठ अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं, जो भारतीय विधिक माप विज्ञान नियम, 2011 के नियम 5 के अनुरूप अहर्ता रखते हों। कृपया इसकी पुष्टि के लिए अधिकारियों के नाम 04.09.2024 तक सूचित करें।

भवदीय / Yours Sincerely,



डा. राजेश्वर कुमार / Dr. Rajeshwar Kumar
निदेशक, आई.आई.एल.एम./ Director, IILM